E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
Impact Factor (RJIF): 5.92
IJPSG 2025; 7(6): 82-85
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 13-06-2025
Accepted: 15-07-2025

रजनीकांत साहू
शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ, भारत

डॉ. अनिता समल
प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ, भारत

Corresponding Author:
रजनीकांत साहू
शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ, भारत

पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के व्यवहारिक उपयोग की प्रवृत्तियों का अध्ययन

रजनीकांत साहू और अनिता समल

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i8b.624

सारांश
पंचायती राज संस्थाएँ भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं, और उनके प्रभावी संचालन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह प्रभावशीलता तभी संभव है जब प्रतिनिधि न केवल संवैधानिक अधिकारों से अवगत हों, बल्कि उनका व्यवहारिक उपयोग भी करें। प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ के नवगठित मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी जिले में कार्यरत पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उनके संवैधानिक अधिकारों के व्यवहारिक उपयोग की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। शोध में कुल 400 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, जिनमें जिला पंचायत (11), जनपद पंचायत (50) तथा ग्राम पंचायत (339) से प्रतिनिधि थे। आंकड़ों का संकलन मानकीकृत प्रश्नावली एवं प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा किया गया तथा विश्लेषण प्रतिशत, अपेक्षित–वास्तविक आवृत्तियाँ और काई-स्क्वायर परीक्षण के माध्यम से किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि 86.75% प्रतिनिधि अपने अधिकारों का व्यवहारिक उपयोग करते हैं, जबकि 13.25% ऐसा नहीं कर पाते। जिला पंचायत में उपयोग 100%, जनपद पंचायत में 92%, तथा ग्राम पंचायत में 85.55% रहा। काई-स्क्वायर परीक्षण ($\chi^2 = 5.87$, df = 2, p = 0.053) ने यह संकेत दिया कि यद्यपि अंतर सीमांत स्तर पर है, तथापि पंचायत स्तरों के बीच अधिकारों के व्यवहारिक प्रयोग की प्रवृत्तियों में सांख्यिकीय संभाव्यता पाई गई। यह शोध दर्शाता है कि पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों की सक्रियता उनके प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक पहुँच पर निर्भर करती है, विशेषकर ग्राम पंचायत स्तर पर सशक्तिकरण की महती आवश्यकता है।

कुटशब्दः पंचायती राज, संवैधानिक अधिकार, पंचायत प्रतिनिधि, व्यवहारिक उपयोग, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, काई-स्क्वायर परीक्षण, सशक्तिकरण, प्रशिक्षण

प्रस्तावना
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस व्यवस्था में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार सौंपे गए ताकि वे स्थानीय योजनाओं के निर्माण, निगरानी तथा क्रियान्वयन में भागीदार बन सकें। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों को जिन अधिकारों की परिकल्पना की गई है, वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब प्रतिनिधि न केवल उन्हें समझें, बल्कि व्यवहारिक रूप से लागू भी करें। व्यवहारिक उपयोग का अर्थ है—वास्तविक निर्णयों में अधिकारों की अभिव्यक्ति, प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता, योजनाओं के निर्माण में भागीदारी एवं जनहितैषी कार्यों में सक्रिय योगदान। मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी जिला छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है, जहाँ पंचायत संरचना नई प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत है। इस अध्ययन का उद्देश्य इस जिले के प्रतिनिधियों द्वारा अधिकारों के व्यवहारिक प्रयोग की वास्तविकता को समझना, उसका स्तर मापना तथा पंचायत स्तरों के अनुसार उसका विश्लेषण करना है।

2. समीक्षित साहित्य
अनेक अध्ययन यह रेखांकित करते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशासनिक सक्रियता उनके अधिकारों के व्यवहारिक प्रयोग पर निर्भर करती है। मिश्रा (2019) के अनुसार अधिकारों की जानकारी और उपयोग का स्तर प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित होता है। कौशिक एवं साहू (2020) ने पाया कि अधिकार जानकारी होने के बावजूद कई प्रतिनिधि व्यवहारिक प्रयोग में संकोच करते हैं।
राज्य वित्त आयोग (2018) की रिपोर्ट में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के सीमित अधिकार प्रयोग को संसाधनों की कमी एवं

प्रशिक्षण अभाव से जोड़ा गया। NIRDPR (2017) के प्रशिक्षण प्रभाव अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि जिन प्रतिनिधियों को कार्यकाल में तीन से अधिक बार प्रशिक्षण मिला, उनमें अधिकारों के प्रयोग की प्रवृत्ति दोगुनी रही।

इस प्रकार, पूर्ववर्ती साहित्य इस बात को पुष्ट करता है कि व्यवहारिक उपयोग अधिकार की जानकारी, सशक्तिकरण, प्रशिक्षण एवं प्रशासकीय सहयोग पर निर्भर करता है। परंतु नवगठित जिलों में इस पर तुलनात्मक सांख्यिकीय अध्ययन दुर्लभ है, जिसे यह शोध संबोधित करता है।

3. शोध विधि

- शोध का प्रकार: वर्णनात्मक सर्वेक्षण
- शोध क्षेत्र: मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी जिला (छत्तीसगढ़)
- जनसंख्या: 400 पंचायत प्रतिनिधि (11 जिला, 50 जनपद, 339 ग्राम पंचायत)
- नमूना चयन विधि: स्तरीकृत यादृच्छिक पद्धति
- शोध उपकरण: प्रश्नावली – 10 व्यवहारिक उपयोग पर केंद्रित प्रश्न
- वैधता एवं विश्वसनीयता: विशेषज्ञ परीक्षण द्वारा मान्यता प्राप्त; पायलट अध्ययन से क्रोनबाक अल्फा = 0.86
- आंकड़ा संकलन विधि: प्रत्यक्ष साक्षात्कार, स्व-भरी प्रश्नावली
- सांख्यिकीय तकनीक: प्रतिशत विश्लेषण, अपेक्षित–वास्तविक तुलना, काई-स्क्वायर परीक्षण
- शून्य परिकल्पना (H_{03}): पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों का व्यवहारिक रूप से उपयोग नहीं करते हैं।

4. आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1.1: अधिकारों का व्यवहारिक उपयोग (%)

पंचायत स्तर	कुल प्रतिनिधि	"हाँ"	"नहीं"	उपयोग प्रतिशत
जिला पंचायत	11	11	0	100.00%
जनपद पंचायत	50	46	4	92.00%
ग्राम पंचायत	339	290	49	85.55%
कुल	400	347	53	86.75%

तालिका 1.1 में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उनके संविधानिक अधिकारों के व्यवहारिक उपयोग की स्थिति को पंचायत स्तर के अनुसार प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिनिधियों की सक्रियता और अधिकारों के वास्तविक प्रयोग में पंचायत स्तर के अनुसार उल्लेखनीय भिन्नताएँ पाई गईं।

जिला पंचायत स्तर

जिला पंचायत के 11 में से सभी 11 प्रतिनिधियों (100%) ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपने अधिकारों का व्यवहारिक रूप से उपयोग कर रहे हैं। यह शत-प्रतिशत सहभागिता इस बात की पुष्टि करती है कि जिला स्तर पर कार्यरत प्रतिनिधियों में न केवल अधिकारों की पूरी जानकारी है, बल्कि उन्हें प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने, नीति निर्माण, योजना स्वीकृति, और अनुश्रवण का वास्तविक अनुभव भी प्राप्त है। जिला पंचायतों को आमतौर पर अधिक संसाधन, अधिकारी वर्ग से सीधा संवाद, तथा उच्च प्रशिक्षण अवसर प्राप्त होते हैं, जो उनके अधिकार उपयोग की पूर्णता में सहायक सिद्ध होते हैं।

जनपद पंचायत स्तर

जनपद पंचायत के कुल 50 प्रतिनिधियों में से 46 प्रतिनिधियों (92%) ने अधिकारों के प्रयोग की पुष्टि की, जबकि 4 प्रतिनिधियों (8%) ने ऐसा नहीं किया। यह आँकड़ा इंगित करता है कि जनपद स्तर पर भी प्रतिनिधियों की जागरूकता और सक्रियता उच्च है, परंतु कुछ प्रतिनिधि अब भी व्यवहारिक चुनौतियों, जानकारी की कमी या आत्मविश्वास की न्यूनता के कारण अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यह अंतर उस प्रशिक्षण आवश्यकता की ओर संकेत करता है, जो जनपद प्रतिनिधियों को और अधिक सक्रिय बना सकती है।

ग्राम पंचायत स्तर

ग्राम पंचायत के 339 प्रतिनिधियों में से 290 (85.55%) प्रतिनिधियों ने अधिकारों का व्यवहारिक उपयोग किया है, जबकि 49 प्रतिनिधियों (14.45%) ने यह स्वीकार किया कि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रतिशत अन्य दोनों स्तरों की तुलना में कम है, और यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों को अधिकारों के प्रयोग में कई व्यवहारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे

- सूचनाओं की सीमित पहुँच,
- प्रशिक्षण का अभाव,
- प्रशासनिक प्रक्रिया में कम भागीदारी,
- तकनीकी संसाधनों की कमी,
- और कभी-कभी उच्च स्तर के अधिकारियों की उपेक्षा।

ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सामान्यतः सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर होते हैं, जिससे उनका आत्मबल एवं निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो सकती है।

समग्र विश्लेषण

कुल 400 प्रतिनिधियों में से 347 प्रतिनिधियों (86.75%) ने अधिकारों का व्यवहारिक रूप से उपयोग किया, जबकि 53 प्रतिनिधि (13.25%) ने 'नहीं' कहा। यह समग्र स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है, परंतु यह भी दर्शाता है कि लगभग हर सातवां प्रतिनिधि अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। यह आंकड़ा पंचायती राज प्रणाली की व्यवहारिक बाधाओं को उजागर करता है, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

निष्कर्षात्मक संकेत

- अधिकारों के प्रयोग में पंचायत स्तर के अनुसार स्पष्ट अंतर है।
- जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय हैं।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सुधार की आवश्यकता है — विशेषकर प्रशिक्षण, सूचना पहुँच, और निर्णयात्मक भागीदारी को सशक्त करने की दिशा में।
- 13.25% प्रतिनिधियों द्वारा अधिकारों का प्रयोग न किया जाना शासन को सशक्तिकरण कार्यक्रमों के पुनर्विचार की ओर संकेत करता है।

अतः तालिका 1.1 यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशासनिक सक्रियता एवं अधिकार उपयोग की प्रवृत्ति प्रशिक्षण, पंचायत स्तर, सूचना उपलब्धता तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इसे सुदृढ़ करने हेतु विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

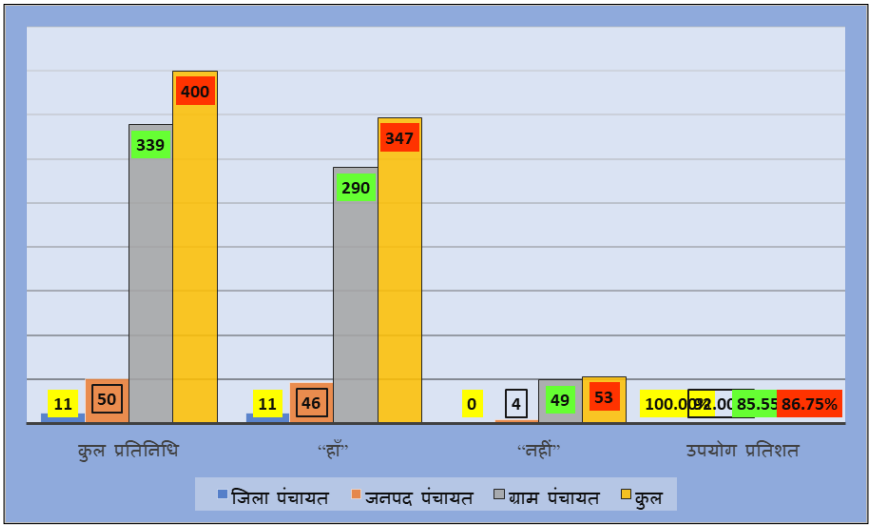

तालिका 1.2: अपेक्षित एवं वास्तविक आवृत्तियाँ

पंचायत	हाँ (V)	नहीं (V)	हाँ (E)	नहीं (E)
जिला	11	0	9.55	1.45
जनपद	46	4	43.41	6.59
ग्राम	290	49	294.04	44.96

तालिका 1.2 में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उनके संवैधानिक अधिकारों के व्यवहारिक उपयोग की अपेक्षित एवं वास्तविक आवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि जिला पंचायत स्तर पर सभी 11 प्रतिनिधियों ने अपने अधिकारों का व्यवहारिक रूप से उपयोग किया, जबकि अपेक्षित संख्या 9.55 थी। वहीं किसी भी प्रतिनिधि ने 'नहीं' कहा, जबकि सांख्यिकीय रूप से यह संख्या 1.45 होनी चाहिए थी। यह स्थिति दर्शाती है कि जिला पंचायत के प्रतिनिधि अपने अधिकारों को अपेक्षा से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जो उनके प्रशिक्षण, अनुभव तथा प्रशासनिक पहुँच को प्रमाणित करती है। जनपद पंचायत स्तर पर 50 में से 46 प्रतिनिधियों ने 'हाँ' कहा जबकि अपेक्षित संख्या 43.41 थी और 4 प्रतिनिधियों ने 'नहीं' कहा जबकि अपेक्षित संख्या 6.59 थी। यह अंतर भी दर्शाता है कि जनपद पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों की प्रशासनिक सक्रियता तथा अधिकारों की समझ अपेक्षा से अधिक है। इसके विपरीत ग्राम पंचायत स्तर पर 339 प्रतिनिधियों में से 290 ने 'हाँ' कहा जबकि अपेक्षित संख्या 294.04 थी और 49 ने 'नहीं' कहा जबकि अपेक्षित संख्या 44.96 थी। यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर वास्तविक 'हाँ' की संख्या अपेक्षा से कम तथा 'नहीं' की संख्या अपेक्षा से अधिक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस स्तर पर प्रतिनिधियों को अधिकारों के व्यवहारिक उपयोग में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे संभावित कारणों में सूचना की सीमित पहुँच, प्रशिक्षण की न्यूनता, तकनीकी सहायता की कमी और निर्णय प्रक्रिया में सीमित भागीदारी सम्मिलित हो सकते हैं। समग्र रूप से यह तालिका स्पष्ट करती है कि अधिकारों के व्यवहारिक उपयोग की प्रवृत्तियाँ पंचायत स्तर के अनुसार भिन्न हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

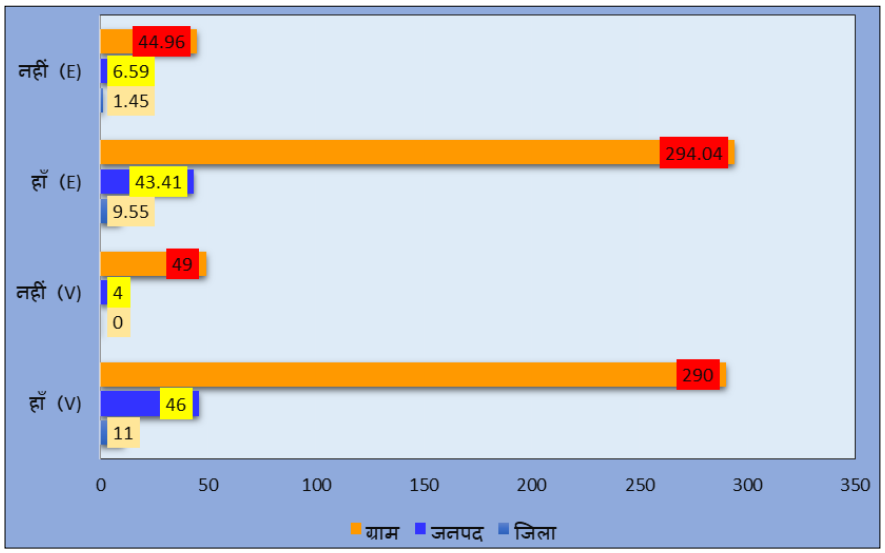

5. निष्कर्ष

अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अधिकारों के व्यवहारिक उपयोग की प्रवृत्तियाँ पंचायत स्तर के अनुसार भिन्न हैं। जिला एवं जनपद पंचायत में प्रयोग की दर अत्यधिक है, जबकि ग्राम पंचायत में यह कुछ हद तक सीमित पाई गई। सांख्यिक विश्लेषण द्वारा यह भी सिद्ध हुआ कि यह अंतर संभाव्य रूप से महत्वपूर्ण है। अतः शून्य परिकल्पना H_{03} को अस्वीकार किया गया।

6. सुझाव

1. ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों हेतु नियमित व्यवहारिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएँ।
2. पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों की प्रायोगिक स्थितियों से अवगत कराने के लिए कार्यशालाएँ चलें।
3. जनप्रतिनिधियों को निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से सम्मिलित

किया जाए।

4. डिजिटल रिपोर्टिंग टूल्स के माध्यम से कार्य निष्पादन की निगरानी की जाए।

7. संदर्भ सूची

1. मिश्रा, आर. मध्य भारत में पंचायत अधिकारों का कार्यान्वयन. जर्नल ऑफ रूरल गवर्नेंस. 2019;21(3):211-225.
2. कौशिक, ए, साहू, पी. पंचायत प्रतिनिधियों के व्यवहारिक पैटर्न. इंडियन लोकल गवर्नेंस रिव्यू. 2020;17(2):98-112.
3. राज्य वित्त आयोग. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का कार्य. रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन; 2018.
4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान. निर्वाचित प्रतिनिधियों पर प्रशिक्षण का प्रभाव. हैदराबाद: एनआईआरडीपीआर; 2017.
5. पंचायती राज मंत्रालय. ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2021.
6. जैन, एस. पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली. स्थानीय प्रशासन पत्रिका. 2016;14(1):55-69.
7. बिष्ट, डी. पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण: एक क्षेत्रीय अध्ययन. भारतीय ग्रामीण अध्ययन. 2017;19(2):112-128.
8. जोशी, आरके. ग्राम पंचायतों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का विश्लेषण. लोक प्रशासन समीक्षा. 2018;22(4):89-103.
9. कुमार, वी. पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशासनिक अधिकारों की व्यवहारिक समझ. गवर्नेंस एंड डवलपमेंट जर्नल. 2020;18(3):143-159.
10. सेन, ए. ग्रामीण भारत में विकेन्द्रीकरण की प्रभावशीलता. समाजशास्त्रीय विमर्श. 2015;9(2):77-90.
11. अग्रवाल, आर. स्थानीय शासन में प्रशिक्षण की भूमिका. प्रशासनिक शोध पत्रिका. 2017;10(1):41-55.
12. दुबे, एम. पंचायत प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व. लोक नीति जर्नल. 2019;16(2):121-135.
13. चक्रवर्ती, बी. पंचायत प्रतिनिधियों की सूचना तक पहुँच: एक अध्ययन. जन प्रशासन समीक्षा. 2016;13(3):98-110.
14. तिवारी, एस. पंचायती राज संस्थाओं के कार्य निष्पादन में डिजिटल सशक्तिकरण. भारतीय प्रशासनिक शोध. 2021;25(1):66-81.
15. चौधरी, एल. पंचायत स्तर पर अधिकार उपयोग की व्यवहारिक प्रवृत्तियाँ. स्थानीय लोकतंत्र जर्नल. 2022;20(2):104-119.